BSES

फॉर्म हाउसों में बिजली कनेक्शन के दुरूपयोग पर बीएसईएस की नजर

ज्यादातर फॉर्म हाउसों ने ले रखे हैं कृषि कनेक्शन, होगी सख्त कार्रवाई

- व्यापक पैमाने पर शुरू होने जा रही है "कनेक्शन कैटेगरी" की जांच
- बीएसईएस के पास 5, 000 से अधिक कृषि कनेक्शन हैं, जो 17, 500 किलोवॉट बिजली की खपत करते हैं
- बिजली कनेक्शन के दुरूपयोग पर 24 गुणा तक हो सकता है जुर्माना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2008। बीएसईएएस को पता चला है कि बड़ी संख्या में फॉर्म हाउसों ने कृषि कनेक्शन ले रखे हैं। यह डीईआरसी और भारतीय बिजली कानून, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन है। आमतौर पर फॉर्म हाउसों को प्रयोग या तो लोग वहां रहने के लिए कर रहे हैं, या फिर वीकएंड पर छुट्टियां बिताने के लिए। कायदे से इन फॉर्म हाउसों को कृषि श्रेणी का कनेक्शन नहीं लेना चाहिए।

बीएसईएस के पास 5, 000 से अधिक (4863– बीआरपीएल और 82– बीवाईपीएल) कृषि कनेक्शन हैं, जो 17, 500 किलोवॉट से अधिक बिजली की खपत करते हैं। ज्यादातर कृषि कनेक्शन फॉर्म हाउसों में लगे हैं। अब बीएसईएस ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है। उल्लेखनीय है कि बिजली कनेक्शनों के दुरूपयोग से बीएसईएस को भारी नुकसान हो रहा है।

नियमों के हिसाब से, संपत्ति की प्रकृति और उसके उपयोग के आधार पर बिजली कनेक्शन की श्रेणी तय होती है। मसलन, घरेलू कनेक्शन का उपयोग सिर्फ रिहायशी उद्‌देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका उपयोग व्यावसायिक व औद्‌योगिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। उसी तरह, व्यावसायिक कनेक्शन का मतलब सिर्फ व्यावयासिक गतिविधियों से ही है, इसका उपयोग औद्‌योगिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता।

बिजली कनेक्शन का दुरूपयोग डीईआरसी और भारतीय बिजली कानून, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन है और इसमें 24 गुणा तक जुर्माना हो सकता है।

क्या हैं डीईआरसी के प्रावधान ?

<u>कृषि कनेक्शनः</u>

जहां तक कृषि श्रेणी के कनेक्शन की बात है, तो उपभोक्ता को 10 किलोवॉट तक का कनेक्शन दिया जा सकता है। इस कनेक्शन का उपयोग वह सिंचाई के लिए ट्यूब वेल, कुट्‌टी और कोठरा आदि के लिए कर सकता है। यदि लोड 10 किलोवॉट से अधिक है, तो इसके अलावा, बाकी की बिजली अ–घरेलू दरों पर मिलेगी।

<u>फॉर्म हाउस कनेक्शनः</u>

फॉर्म हाउस के लिए 21 किलोवॉट तक का कनेक्शन लिया जा सकता है। इस श्रेणी के तहत उपभोक्ता बिजली का घरेलू उपयोग कर सकता है, और साथ ही कुल जमीन के कम से कम 50 प्रतिशत हिस्से पर कृषि / सब्जी उगाने का कार्य कर सकता है। यदि किसी फॉर्म हाउस का बिजली लोड 21 किलोवॉट से अधिक है, तो इसके अलावा, बाकी की बिजली अ–घरेलू दरों पर मिलेगी।

बीएसईएस के एक अधिकारी ने बताया– बिजली कनेक्शन की श्रेणी में बदलाव, एक बेहद आसान प्रकिया है। उपभोक्ता या तो अपने निकटस्थ बीएसईएस डिविज़न ऑफिस से संपर्क करें या फिर 39999707 (बीआरपीएल) और 39999808 (बीवाईपीएल) पर कॉल करें। श्रेणी में बदलाव के फॉर्म बीएसईएस की वेबसाइट **<u>www.bsesdelhi.com</u>** पर भी उपलब्ध हैं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304